तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 85/2013 बअनवान गोरधनराम वगै. बनात रवि वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.07.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री सुनिल बी. एल. रामावत उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि उतरदाता संख्या 01 नाबालिग की तरफ से उसकी माता ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 06 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम पेश कर वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से उसमें नाबालिग उतरदाता संख्या 01 का अपीलांटगण के दादा व पिता के हिस्से की भूमि में खातेदारी घोषणा करवाने की इस्तदुआ चाही गई। जिस पर उतरदाता संख्या 01 के वाद को दर्ज रजिस्टर कर अधीष्नस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर सम्मन तामील होने के बाद अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी के तहत पेश कर वादी का वाद विधि विरूद्ध होने एवं वाद कारण उत्पन्न न होने से मय हर्जा खर्चा खारिज करने का निवेदन किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2013 को अपीलांटगण का प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांटगण की अपील को स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांटगण की पत्रावली पर एकतरफा बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश से आवेदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। मूल वाद अभी विचाराधीन है। आवंदन अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का खारिज किया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी पेश की जा सकती है अपील मेंटेनेवल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार नंबर रो कर होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।	